

न्यायालय:-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपपुर, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

कमांक 82/न्याया./स्टेनो/2024

अनूपपुर, दिनांक 24.05.2024

--: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश :-

अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.) में न्यायिक प्रशासनिक कार्य की सुविधा को देखते हुए **माह जून एवं जुलाई, 2024** के सार्वजनिक अवकाश के लिए आवश्यक कार्य हेतु रिमाण्ड ड्यूटी निम्नानुसार लगाई जाती है। रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टॉफ/लिपिक के साथ समय दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक या उसके पश्चात् कार्य संपन्न होने तक न्यायालय में उपस्थित रहकर आवश्यक कार्य निष्पादित करेंगे।

मुख्यालय अनूपपुर, जिला अनूपपुर

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	जून, 2024	जुलाई, 2024
1.	श्रीमती चैनवती ताराम, सीजेएम, अनूपपुर	17, 23	—
2.	सुश्री अंजली शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	2, 9	7, 14, 28
3.	सुश्री पारूल जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	15, 16, 30	17, 20, 21
तहसील न्यायालय-राजेन्द्रग्राम, जिला अनूपपुर			
1.	श्री सुनील कुमार खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजेन्द्रग्राम	2, 9, 15, 16	14, 17, 28
2.	श्री निखिल सिंघई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजेन्द्रग्राम	17, 23, 30	7, 20, 21
तहसील न्यायालय-कोतमा, जिला अनूपपुर			
1.	श्री रवीन्द्र कुमार शिल्पी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा	17, 23	7, 14
2.	सुश्री गुंजन गौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा	2, 9	20, 21
3.	श्रीमती रश्मि बागरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा	15, 16, 30	17, 28

आवश्यक निर्देश :-

1. यदि माह **जून, 2024** के किसी कार्य दिवस में अवकाश घोषित किया जाता है, तो जिला मुख्यालय में उपस्थित **सुश्री पारूल जैन, जे.एम.एफ.सी. अनूपपुर**, तथा माह **जुलाई, 2024** में यदि किसी कार्य दिवस में अवकाश घोषित किया जाता है, तो **सुश्री अंजली शाह, जे.एम.एफ.सी. अनूपपुर**, उक्त के अलावा ऐसे घोषित अवकाश वाले दिवस में भी उक्तानुसार आकस्मिक व आवश्यक कार्य देखेंगे।

2. यदि माह **जून, 2024** के किसी कार्य दिवस में अवकाश घोषित किया जाता है, तो मुख्यालय राजेन्द्रग्राम में उपस्थित **श्री निखिल सिंघई, जे.एम.एफ.सी. राजेन्द्रग्राम**, तथा माह **जुलाई, 2024** में यदि किसी कार्य दिवस में अवकाश घोषित किया जाता है, तो **श्री सुनील कुमार खरे, जे.एम.एफ.सी. राजेन्द्रग्राम**, उक्त के अलावा ऐसे घोषित अवकाश वाले दिवस में भी उक्तानुसार आकस्मिक व आवश्यक कार्य देखेंगे।

3. यदि माह **जून, 2024** के किसी कार्य दिवस में अवकाश घोषित किया जाता है, तो मुख्यालय कोतमा में उपस्थित **सुश्री गुंजन गौड़, जे.एम.एफ.सी. कोतमा**, तथा माह **जुलाई, 2024** में यदि किसी कार्य दिवस में अवकाश घोषित किया जाता है, तो **श्रीमती रश्मि बागरी, जे.एम.एफ.सी. कोतमा**, उक्त के अलावा ऐसे घोषित अवकाश वाले दिवस में भी उक्तानुसार आकस्मिक व आवश्यक कार्य देखेंगे।

4. यदि अति आवश्यक कार्य/आकस्मिक कार्य से किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्यालय से बाहर जाना आवश्यक है, तो वह किसी भी अपने साथी मजिस्ट्रेट से लिखित में सहमति प्राप्त कर सी.जे.एम. को सूचना देते हुए अवकाश स्वीकृत होने/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति पश्चात् ही, मुझे सूचना देते हुए मुख्यालय से बाहर जावें।


आज दिनांक **24.05.2024** को
मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
अनूपपुर के अनुमोदन पश्चात् तत्काल प्रभावशील।

"अनुमोदित"

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अनूपपुर (म.प्र.)

पू.क...../न्याया./स्टेनो/2024



श्रीमती चैत्रवती ताराम
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अनूपपुर, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

अनूपपुर, दिनांक-**24.05.2024**

प्रतिलिपि:-

01. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर म.प्र. की ओर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु सादर प्रेषित।
02. सुश्री अंजली शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर म.प्र.।
03. सुश्री पारूल जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर म.प्र.।
04. किशोर न्याय बोर्ड, अनूपपुर म.प्र.।

05. श्री सुनील कुमार खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजेन्द्रग्राम।
06. श्री निखिल सिंघई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजेन्द्रग्राम।
07. श्री रवीन्द्र कुमार शिल्पी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा।
08. सुश्री गुंजन गौड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा।
09. श्रीमती रश्मि बागरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा।
10. पुलिस अधीक्षक, जिला अनूपपुर म.प्र.।
11. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, अनूपपुर म.प्र.।
12. जिला नाजिर, जिला न्यायालय अनूपपुर म.प्र.।
13. सिस्टम एनॉलिस्ट, जिला न्यायालय, अनूपपुर की ओर ई-मेल के माध्यम से प्रसारित किए जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. रीडर, न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपपुर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


श्रीमती चैनवती ताराम
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अनूपपुर, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)